प्रेस विज्ञप्ति

17.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स हाईरिच ऑनलाइन ग्रुप के मामले में 31.05 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इन संपत्तियों में मुख्य आरोपी प्रथापन के.डी., हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और कंपनी हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड, इसकी समूह कंपनियों, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी द्वारा शुरू की गई पोंजी प्रकार की मनी चेन योजनाओं को बढ़ावा देने वाले अन्य प्रमोटरों के नाम पर कई संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा, ईडी द्वारा 31.08.2024 को सीबीआई-II विशेष अदालत, एर्नाकुलम के समक्ष निदेशकों के.डी. प्रथापन, श्रीना प्रथापन, दीनूराज और धोखाधड़ी योजना के अन्य प्रमुख नेताओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) भी दायर की गई है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने केरल पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 420 के प्रावधानों के तहत दर्ज कई एफआईआर और हाईरिच ग्रुप्स और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राप्त कई शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि प्रथापन के.डी. और उनकी पत्नी श्रीमती श्रीना के.एस. ने मल्टी-लेवल मार्केटिंग मनी सर्कुलेशन योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से राशि एकत्र करके धोखाधड़ी की। उन्होंने कई भ्रामक अभियान चलाए जैसे कि “हाईरिच ऑनलाइन स्कीम”- किराना सदस्यता पोर्टल, “फार्म सिटी”- कई लोगों से जमीन लीज पर ली और कहा कि उनके पास मॉडल फार्म बनाने के लिए नाबार्ड की मंजूरी है, “एचआरओटीटी”- ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया और मुनाफे के हिस्से के बदले में निवेश आमंत्रित किया, “एचआरसीओआईएन और एचआरसीसी”- नकली क्रिप्टो करेंसी बनाई और कीमत में कृत्रिम रूप से हेरफेर किया, ताकि निवेशकों को लालच देकर पैसा इकट्ठा किया जा सकें और कहा कि उनके द्वारा बनाए गए बाइनरी ट्री मॉडल के तहत और अधिक Hindiनिवेशकों को जोड़कर निवेशक बहुत पैसा कमाएंगे। दस लाख से अधिक सदस्यों को उपरोक्त धोखाधड़ी के तरीके के माध्यम से सदस्यता लेने का लालच दिया गया है और वे पोंजी योजना के शिकार हो गए हैं।

आरोपी द्वारा जनता से एकत्र की गई राशि का उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्यों और कई अन्य व्यक्तिगत संपत्तियों में निवेश के लिए किया गया था, जिससे जमाकर्ताओं को धोखा दिया गया। इस मामले में शामिल कुल अपराध आय (पीओसी) 1651.65 करोड़ रुपये है और 244.03 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही पीएमएलए, 2002 के तहत फ्रीज की जा चुकी है। प्रथापन के.डी. को 04.07.2024 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह जिला जेल, कक्कनाड, एर्नाकुलम में न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जांच जारी है।